

प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। आज सरे इजलास रूक - रूककर बार - बार आवाजें लगाने पर भी प्रार्थी अधिवक्ता या स्वयं हाजिर नहीं। अतः पत्रावली अदम पैरवी - अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।